

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या- 390 / एन०डी० / 2023

दिनांक- 30/11/2023

- सूचना -

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेन्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित।

रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सहायक हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के प्रत्येक शुक्रवार को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सहायक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०डी०/बी०डी०/बी०आर०प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्त महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://updgme.in> एवं जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपेडिक्स	1	एस०सी०	(53)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित	(56) (57) (58)	1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(57) (103)
2	आपथलमोलॉजी	0	0	0	1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	0	0	0
3	आम्ब्रोटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(50)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(5) (64) (65)	1 1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी०	(8) (109) (163)
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(55) (56)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(68) (67)	1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित	(110) (111) (112)
5	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	0	0	0
6	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (76) (86) (87)
7	एनेस्थीसिया	1	द्रामा ई०डब्ल्यू०एस०	(10)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(6) (9) (38) (68) (69) (70) (71) (72)	1 1 1 1 1 1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(10) (11) (13) (14) (15) (60) (113) (117) (119)
8	एनेस्थीसियोलॉजी, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(61)
9	ओटो लैरिंगोलॉजी (ई०एम०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	ई०डब्ल्यू०एस० ई०डब्ल्यू०एस०	(50) (120)
10	किटिकल केयर आइ.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	1	अनारक्षित	(62)
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० एस०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(19) (121) (159) (160)
12	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित एस०सी०	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी० एस०सी० ओ०बी०सी० एस०सी० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(20) (47) (53) (55) (63) (123) (124) (125) (126) (127)
13	जनरल सर्जरी	1 कोलो रेक्टल 1 द्रामा	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(17) (19)	1 1 1 1 1	अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(84) (85) (86) (87) (88) (89)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(21) (24) (44) (99) (128) (129) (130) (131) (132) (165) (166) (167) (168) (169)
14	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	1	अनारक्षित	(64)	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (90) (106)	1 1 1	ओ०बी०सी०	(133)
15	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड यी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(91) (107)	0	0	0
16	न्यूरो-एनेस्थीसिया, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस०सी०	(41)	1	ओ०बी०सी०	(43)	1	अनारक्षित	(66)
17	न्यूरो-रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	1	ओ०बी०सी०	(67)

18	न्यूरो-अप्यलमोलोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एसओसी	(45)	0	0	0
19	न्यूरो-फैथलाजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)
20	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0
21	नेफोलोजी (मेडिसिन)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0
22	नेफोलोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	1	एसओसी	(69)
23	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	इंडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित ओबीसी	(70) (93) (94) (95)	1 1 1 1	1 (माइक्रोबाइयोलॉजिस्ट) 1 (सामान्य अंतर्गत) 1 (अनारक्षित) 1 (अनारक्षित)	इंडब्ल्यूएसओ (30) इंडब्ल्यूएसओ (70) ओबीसी (139) इंडब्ल्यूएसओ (140) इंडब्ल्यूएसओ (170) ओबीसी (171)
24	पेन-मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एसओसी	(47)	1	ओबीसी	(71)
25	फार्माकोलाजी	1	एसओसी	(40)	1	एसओसी अनारक्षित	(25) (34)	1 1	1 (फार्मास्युटिकल केमिस्ट)	अनारक्षित (32) एसओसी (93)
26	फिजियोलोजी	0	0	0	0	0	0	1	ओबीसी	(95)
27	फिजियोलोजी एंड मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	अनारक्षित	(48)	1	एसओसी	(145)
28	फिजियोलोजी मेडिसिन	1	अनारक्षित	(82)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)
29	हाथोकेमिस्ट्री	1	ओबीसी	(51)	1	अनारक्षित	(50)	1	अनारक्षित	(146)
30	हाइकोबायोलोजी	0	0	0	1	एसओसी	(67)	1	एसओसी	(147)
31	होमिओपैथी (मेडिसिन)	0	0	0	1	एसओसी	(71)	0	0	0
32	होमिओपैथी मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	इंडब्ल्यूएसओ	(50)	1	अनारक्षित	(74)
33	सुरोलोजी	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0	0	0
34	थेरेप्युटिकल सिस्टम	1	ओबीसी	(37)	1	इंडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसी इंडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	ओबीसी (37) अनारक्षित (38) अनारक्षित (56) अनारक्षित (152) एसओसी (153) अनारक्षित (154) ओबीसी (155) अनारक्षित (156) ओबीसी (157) ओबीसी (161)
35	सहस्रियेद्री	1	अनारक्षित	(83)	1	ओबीसी अनारक्षित	(103) (103)	1 1	1 1	अनारक्षित (159)
		21			67			90		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एनोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आय सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आय नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिन को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- घरान से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अत्याचार्यों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में निरत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओबीसी को दिन इन्फोर्मेटिक्स नहीं करेंगे।
- प्रोफेसर नियुक्त करने वाले शिक्षकों को प्रोफेसर प्रोविजंस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा विभाग इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आगे रोगियों को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए माध्यम नहीं करेगा।
- प्रोफेसर नियुक्त करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवाओं लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न माने जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर सहायक/अनुपस्थित आचार्यों को संतोषजनक सेवा दे आभार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कार्यभार में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रशासक द्वारा शासनादेश, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई हितकर देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षकों का कार्यभार वेतन में विनियमनित करने के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।

पं-390/उपदिनांक

- प्रतिनिधि- निम्न लिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- शासनादेश, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सं०५० संख्या के द्वारा आचार्यों को सूचना के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षकों को एक माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण 01 माह की सूचना या एक माह का प्रारंभिक वेतन सुधारण करने समाप्त की जा सकती है।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर